<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रव	क.कमांक–1	9/20	09
संस्थित	दिनांक-12	2.01.20	009

/ / <u>विरूद</u> / /

टोपराम पिता भैयालाल बिसेन उम्र—40 वर्ष, जाति पंवार, साकिन—दीनाटोला, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — –

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-23/03/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा—429 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—01.01.2009 को सुबह 07:00 बजे स्थान ग्राम खमरिया एवं दीनाटोला के बीच तालाब के पास, थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी सुरेन्द्र गौतम की गाय, जिसका मूल्य 50/—रूपये या इससे अधिक था, को दाहिने पैर में कुल्हाड़ी से मारकर विकलांग किया तथा एतद् द्वारा रिष्टी कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—01.01.2009 को फिरयादी सुरेन्द्र गौतम ने थाना रूपझर में आकर लिखित आवेदन दिया कि दिनांक—01.01.2009 की सुबह 07:00 बजे टोपराम बिसेन सािकन दीनाटोला ने तालाब के पास उसकी मवेशी गाय को कुल्हाड़ी से दािहने पर में मारा है। उक्त रिपोर्ट पुलिस द्वारा रोजनामचा सान्हा कमांक—14, दिनांक—01.01.2009 पर दर्ज कर, मवेशी को आई चोट का डॉक्टर परीक्षण पशु चिकित्सक उकवा से कराया गया। जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर गाय के पैर में किसी वजनदार वस्तु से प्रहार करन से पैर टूटकर हड्डी बाहर निकल जाना लेख है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध कमांक 04/2019, भारतीय दंड संहित की धारा—429 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर अनुसंधान के दौरान सािक्षयों के कथन लेखबद्व किये गये, अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरूद्ध धारा—429 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया।

4- प्रकरण में निराकरण हेतू निम्नलिखित बिन्दू विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक—01.01.2009 को सुबह 07:00 बजे स्थान ग्राम खमिरया एवं दीनाटोला के बीच तालाब के पास, थाना रूपझर अंतर्गत फिरयादी सुरेन्द्र गौतम की गाय, जिसका मूल्य 50/—रूपये या इससे अधिक था, को दाहिने पैर में कुल्हाड़ी से मारकर विकलांग किया तथा एतद् द्वारा रिष्टी कारित किया ?

:: विचारणीय बिन्दु का निराकरण ::

सुरेन्द्र गौतम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह 8:00 बजे की ग्राम खमरिया की है। उसकी गाय का आरोपी ने कुल्हाड़ी से पैर काट दिया था, तब दो दिन बाद गाय जनी, तब गाय और बच्चा खत्म हो गया। उक्त गाय की कीमत 12 हजार रूपये थी। फिर उसने घटना की रिपोर्ट की जो प्रदर्श पी-3 है। उसके बाद पुलिस जांच करने आई थी। पुलिस द्वारा मौकानक्शा प्रदर्श पी-4 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने थाना रूपझर में आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। नुकसानी पंचनामा गवाह प्रकाश के समक्ष बनाया गया था, जो प्रदश पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकर किया है कि उसे प्रकाश ने बताया तब उक्त के संबंध में जानकारी हुई और उसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने टोपराम के द्वारा गाय को मारते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने न तो आरोपी को कथित रूप से गाय को मारते हुए देखा है और न ही उसे घटना की जानकारी होना प्रकट किया है। वास्तव में साक्षी ने कथित रूप से प्रकाश के बताने पर मामलें में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई है, किन्तु उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

- 6— साक्षी मुकेश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस ने उसके समक्ष कोई पंचनामा तैयार नहीं किया। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे सुरेन्द्र ने उसकी गाय को आरोपी के द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर पैर तोड़ देना बताया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—2, नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—1 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 7— तिलनबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानती है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की ग्राम खमिरया की है। गांव का लड़का रामलाल ने बताया था कि आरोपी ने गाय को काटकर गाढ़े में लेजाकर बंधी में फेंक दिए हैं। रात भर गाय रही, फिर गाय का बछड़ा हुआ, फिर गाय खत्म हो गई थी। गाय को काटकर जब फेंक दिए थे, तब वे घर वाले गए और उसे उठाकर घर में आए, तब वह रात भर रही और सुबह खत्म हो गई थी। उसने गाय को बंधी में जाकर देखा था, गाय के पैर को कुल्हाड़ी से काट दिए थे। गाय का पैर पूरा कट गया था, थोड़ा सा मांस लटक रहा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी तथा सुनी—सुनाई बात के अनुसार घटना की जानकारी दी है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कथन न करते हुए साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 8— शिवलाल (अ.सा.4) एवं माखनसिंह (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को पहचानते हैं। उनके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 9— डॉ. किर्ती ठाकरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—06.01.2009 को पशु चिकित्सालय उकवा में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर

पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी रूपझर के लिखित आवेदन पर एक गाय की चोटों का मुलाहिजा कर नतीजा से अवगत कराए जाने का लेख किये जाने पर उसके द्वारा सुरेन्द्र गौतम निवासी खमरिया की गाय का परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने गाय के सामने के दाहिने पैर में किसी वजनदार वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे गाय का पैर टूट गया था व हड्डी बाहर निकल चुकी थी। साक्षी ने अपने अभिमत में गाय का चिकित्सीय ढंग से अच्छा ईलाज होने पर भी उसका पैर नहीं जोड़ा जा सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने गाय को देखकर रिपोर्ट तैयार की थी और उस समय गाय जीवित थी।

- 10— प्रधान आरक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में थाना रूपझर में पदस्थ होते हुए मामलें में सुरेन्द्र की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 लेख किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।
- 11— अनुसंधाकर्ता अधिकारी के.पी. मिश्रा (अ.सा.5) ने मामलें में विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—4, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाने, नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—1 तैयार किये जाने, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—6 तैयार किये जाने, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—7 तैयार किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक—08.01.2009 को गाय जीवित थी और उसे देखकर उसने नुकसानी पंचनामा बनाया था, जबिक मामले में दिनांक—06.01.2009 को प्रथमिकी दर्ज होना प्रकट होता है, जिसके अनुसार घटना दिनांक—01.01.2009 लेख की गई है। फरियादी सुरेन्द्र (अ.सा.2) के अनुसार उक्त घटना दिनांक के दो दिन पश्चात् गाय खत्म हो गई थी, तब पुलिस द्वारा गाय का शव का पंचनामा एवं शव का परीक्षण न कराए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार मामले में अभियोजन साक्षीगण के कथन और अभियोजन कहानी में परस्पर विरोधाभास होना प्रकट होता है।
- 12— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा फरियादी सुरेन्द्र की कथित गाय को कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाए जाने या रिष्टी कारित किये जाने के संबंध में देखे जाने के कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार अभियोजन मामलें में चक्षुदर्शी साक्षी का अभाव रहा है। स्वयं सुरेन्द्र (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में

प्रकाश नामक व्यक्ति से घटना की जानकारी होना प्रकट किया है, जबकि अभियोजन की ओर से साक्षी प्रकाश की साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी है। अन्य साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.1), तिलनबाई (अ.सा.3) ने भी किसी अन्य के बताए जाने पर कथित घटना की जानकारी होना और घटना स्वयं न देखे जाने के कथन किये हैं। अभियोजन मामलें में सभी साक्षीगण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, बल्कि सभी साक्षीगण ने घटना के अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं। मामलें में आरोपित अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार मात्र समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सकता है।

उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि 13-अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी सुरेन्द्र गौतम की गाय, जिसका मूल्य 50 / – रूपये या इससे अधिक था, को दाहिने पैर में कुल्हाड़ी से मारकर विकलांग किया तथा एतद् द्वारा रिष्टी कारित किया। अतः आरोपी टोपराम को भारतीय दंड संहिता की धारा-429 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलका भारमुक्त किए जाते है । 14-प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि 15-पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावें अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो ।

, बैंहर, तलाघाट निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट